

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(क)(वि.सं.)( )डीएलबी/19/15077

दिनांक: 9-10-2020

आदेश


राज्य सरकार के निर्देशानुसार श्री महेश योगी, एडवोकेट को नगरपालिका नैनवां के विरुद्ध न्यायिक प्रकरणों में अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी करने हेतु पैनाल अधिवक्ता/विधि सलाहकार नियुक्त किया जाता है। इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान नगरपालिका नैनवां से देय होगा। उक्त आदेश पद रिक्त होने पर ही लागू होगा। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.सं.)( )डीएलबी/19/15078-15086 दिनांक: 9-10-2020

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, कोटा।
05. अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका नैनवां।
06. श्री महेश योगी, अधिवक्ता, मार्फत नगरपालिका नैनवां।
07. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली।

  
(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी